To be issued in Hindi

RTI MATTER

No.A-43020/84/2014-RTI
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya
****

New Delhi dated the 5 September, 2014.

ORDER

Subject: First Appeal preferred by Shri Rameshwar Sharma under RTI Act, 2005.

Whereas Shri Rameshwar Sharma vide his RTI application dated 27.3.2014 (received in this Ministry on 23.5.2014 by way of transfer from Ministry of Law & Justice) sought information on various subjects.

2. Whereas the CPIO, vide his letter dated 10.6.2014 (copy enclosed) had intimated the applicant that the information sought by him is of various subjects which is not available with or compiled by any Department/Wing of the Ministry of Home Affairs. The huge information is scattered among various public authorities, State Governments/UT Admns, Courts etc. It was also informed to the applicant that under Section 7(1) of RTI Act, it is not open to any applicant to bundle a series of requests on various topics into one application unless these requests are treated separately and paid for accordingly. However, a request may be comprised of a question with several clarificatory or supporting questions stemming from the information sought. Only such application will indeed be treated as a single request and charged for accordingly. The applicant was also advised to obtain the information from the concerned public authority/State Govt./UT Admn. by filing separate application with each authorities.

3. Whereas the appellant vide his appeal dated 8.7.2014 (Received in this office on 18.7.2014)) has stated that he has not received any information with respect to his RTI application dated 27.3.2014 and again requested to provide the same.

4. Whereas the appellant is informed that the concerned CPIO has already intimated him that the information sought is of various subjects and also advised to obtain the information from the concerned public authorities. The the reply provided by the CPIO is in order. The appeal is accordingly disposed of without any order.

5/9/14

(Satpal Chauhan)
Joint Secretary & First Appellate Authority
Tel. No.23093178

Shri Rameshwar Sharma
C-343, Street No.16, Bhajanpura, Delhi-110 053.

Copy to: SO(IT) alongwith a copy of RTI application, appeal of Shri Rameshwar Sharma and order for uploading in MHA website

3034/RTI/MHA/2014
2/6/14

आर. टी. आई.मामला

सं. 15011/63/2014- न्याय(ए. यू.)

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

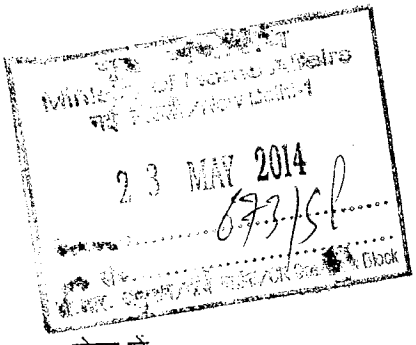

26, मानसिंह रोड, जैसलमेर हॉउस,
नई दिल्ली-110011
दिनाक: 21/5/14

सेवा में,

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, आर.टी. आई. सैल, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
2. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, आर.टी. आई. सैल, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली
3. श्री आर. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी (न्याय-II) एवं सी.पी.आई. ओ. (न्याय-I), न्याय विभाग, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/सुश्री श्री रामेश्वर शर्मा का आवेदन प्रेषित करना ।

RTI

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप धारा (3) के अंतर्गत श्री/ श्रीमती/ सुश्री श्री रामेश्वर शर्मा का दिनाँक 27/3/14 (21/5/14 को प्राप्त) आर. टी. आई. आवेदन प्रेषित करने का निर्देश हुआ है|

2. यदि यह आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो इसे उस आवेदक को सूचना देते हुऐ इसे उस लोक प्राधिकारी के पास अंतरित/ प्रेषित कर दिया जाए जिसका इस विषयवस्तु से निकट संबंध है|

भवदीय,

सुनील

(सुनील कुमार गुप्ता)
अनुभाग अधिकारी एवं केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्त के अनुसार

प्रति सूचनार्थ :

1. श्री/ श्रीमती/ सुश्री रामेश्वर शर्मा, सी-343, गली नं. 16, भजन पुरा, नई दिल्ली
2. सी. पी. आई. ओ. एवं निदेशक (प्रशासन), डाक विभाग, नई दिल्ली-110006

Ref No. B-2/Misc-59/RTI Act-2005/14-15

24/RTI (SO AO)/14
21/5/14

DEPARTMENT OF POSTS
OFFICE OF THE DIRECTOR GPO NEW DELHI-110001

Ministry of Home Affairs
RECEIVED
1368/RTI/RLS
19 MAY 2014
Signature.....

To

CPIO/Director
Department of Justice
Jaisalmer House, 26 Mansingh Road
New Delhi -110011

No.: B-2/Misc.-59/RTI Act-2005/14-15 dated 13-05-2014.

Sub: **Information under Right to Information Act-2005 – Case of Sh Rameshwar Sharma, C-343, Gali No 16 Bhajanpura, Delhi**

SO/Admn/Jus

Kindly find enclosed herewith copy of RTI application dated 27-03-2014 of **Sh Rameshwar Sharma** (on line registered at this office on 12-05-2014) for furnishing the requisite information, under Right to Information Act-2005, direct to the applicant at your end.

The prescribed fee has been paid in the shape IPO No 13F 878696 for Rs 10/- submitted by the applicant is enclosed herewith in original.

Encls: As above

CAPIO &
Asstt. Director (Admn.),
GPO New Delhi-110001.

Copy to: -

Sh Rameshwar Sharma, C-343, Gali No 16 Bhajanpura, Delhi - for information.

21/5/14
MS-J
MHA/LA/Just.

ॐ

स्पीड पोस्ट

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन

दि. 27–03–14 पृष्ठ सं. 1 से 10

सेवा में,

श्रीमान् जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.),

श्रीमान अध्यक्ष, विधि आयोग, एलसीआई भवन, नियर सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली–110001

आवेदनकर्ता : रामेश्वर शर्मा निवासी सी.–343, गली न. 16, भजनपुरा, दिल्ली–110053।

आदरणीय मान्यवर,

1. सूचना दे कि सविधान के अनुच्छेद 350 की अवहेलना व अपमान करने का वालो को किस कानून के तहत दण्ड दिया जाएगा इसकी सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
2. सूचना दे कि आवेदनकर्ता 2009 से सर्वोच्च न्यायालय की सर्विस कमिटी कानूनी सहायता मांगने पर एक वकील श्री सिवराम शर्माचै. न. 24, सर्वोच्च न्यायालय वकील परिसर से कानूनी सहायता हेतु नियुक्त किया लेकिन इस वकील व सचिव एस.सी. लिगल सर्विस कमिटी ने दोषी दूसरी फरीक से मिलकर कोई कानूनी सहायता ना दी ना हीकोई जानकारी दी कि आवेदनकर्ता के केसों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई। इन दोषीसचिव व वकील आदि के खिलाफ किस कानून के तहत कार्यवाही कर दण्डित किया जाए और आवेदनकर्ता को किस कानून के तहत न्याय मिलेगा। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
3. सूचना दे कि दिल्ली व हरियाणा की अदालतो के मुखिया, हरियाणा व दिल्ली आदि का चुनाव आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, दिल्ली, केन्द्र व हरियाणा सरकार के मुखिया, हरियाणा लोकायुक्त, सर्वोच्च, उच्च व जिला न्यायालय के लिगल सर्विस कमिटी के मुखिया व वकील भ्रष्टाचारियों से मोटी रिश्वत खाकर गरीब आवेदनकर्ता के साथ अन्याय कर न्याय से वंचित कर रहे हैं इन सभी के खिलाफ किस कानून के तहत कार्यवाहीकर दण्डित किया जायेगा। हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।
4. सूचना दे कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, जिला अदालत सोनीपत के जजो, केन्द्र सरकार के पी.ए., मंत्रीगण, हरियाणा के सी.एम., हरियाणा पुलिस के डी.जी.पी. आदि एवं दूसरे विभागो के मुखिया के खिलाफ भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायते की उनके खिलाफ आज तक आपने या आपके मुखिया ने किस कानून के तहत इन दोषीयों के खिलाफ कार्यवाही आज तक ना की और किस कानून के तहत इन दोषीयों के विरूद्ध कार्यवाही कर दण्डित किये जाएंगें। हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।
5. सूचना दे कि 1947 में भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान में व बांग्लादेश में कितनी संख्या/प्रतिशत में हिन्दु–सिख आदि थेऔर भारतवर्ष में कितने प्रतिशत मुस्लिम थे पाकिस्तान व बांग्लादेश मेंहिन्दू एवं सिखों आदि की सम्पत्तिकिस बोर्ड में कितनी है ओर उनकी हैसियत क्या हैजैसे भारतवर्ष में वक्फबोर्ड और कस्टोडियन की अनामि सम्पत्ति का दर्जा देकर रखी हुई है।हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।
6. सूचना दे कि 1947 से आज तक चाईना ने भारतवर्ष के भूभाग की जमीन पर कितने किलामीटर तक कब्जा किया हैहिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।
7. पाकिस्तान, बाग्लादेश व चाईना ने 1947 से आज तक हमारे कितने सैनिको व सामान्य जनता के लोगो को मौत के घाट उतारा है।हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।
8. सूचना दे कि दोषी वकीलो, जजो एवं दूसरे देश के प्रसाशनिक एवं पुलिस के मुखिया आदि के खिलाफ उनके दोषो के सम्बन्ध में शिकायत करने पर उन्हे दण्डित न करने वालो के खिलाफ किस कानून के तहत दण्ड दिया जायेगा हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।
9. सूचना दे कि आवेदनकर्ता को न्याय किस कानून के तहत प्राप्त होगा या आवेदनकर्ता और उसके परिवार के साथ अन्याय कोर्टो के भ्रष्ट जजों एवं दूसरे अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करके अन्याय किया जायेगा।हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।
10. सूचना दे कि दिल्ली एवं हरियाणा में कृषि भूमि पर अवैध कालोनियां किस कानून के तहतबसाई जा रही हैं और उन अवैध कालोनियों को बसाने वाले दोषीयों के खिलाफ किस कानून के तहत दण्डित ना करके बचाया जा रहा है और उस कृषि भूमि के बैयनामें अवैध कालोनी को बसाने हेतुसम्बन्धित एस.आर. किस कानून के तहत कागजात पंजीकृत कर रहें हैं और उस अवैध कालोनी कोबाद में किस कानून के तहत किस हैसियत से किया जाता है और अवैध कालोनी के सम्बन्ध में शिकायत करने पर दिल्ली व हरियाणा एवं केन्द्र सरकार के मुखिया इनके खिलाफ किस कानून के तहत कार्यवाही ना कर इन्हे बसा रहें हैं और आवेदनकर्ता अपनी भूमि की चार दिवारी आदि करने के सम्बन्ध में पिछले कई साल से आवेदन हरियाणा और केन्द्र की सरकार को दे रहा है आवेदनकर्ता को किस आवेदन के तहत अपनी भूमि चार दिवारी करने की प्रमीशन नही दी जा रही।हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे। (10-ए) सूचना हिन्दी में दे कि सर्वोच्च न्यायालय को देश की संवैधानिक राष्ट्र भाषा को अपमान कर आवेदनकर्ता के [illegible]

11. सूचना दे कि आवेदनकर्ता को भारत की सवैधानिक राजभाषा देवनागरी लिपि हिन्दी में निचली अदालतों, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में दायर करने दिये जाएंगें क्योंकि आवेदनकर्ता 2007 से आज तक सरकार, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की लीगल सर्विस कमीटी एवं उसके वकील दूसरी फरीक से मिलकर आवेदनकर्ता और उसके परिवार के साथ अन्याय कराकर न्याय से वंचित कर रहें हैं इन सस्थाओं एवं इनके वकीलो ने दूसरी फरीक से मिलकर आवेदनकर्ता के केसो की पैरवी करना बन्द कर दिया और सम्बन्धित अदालतो ने अन्यायपूर्ण रवैया अपनाकर आवेदनकर्ता एवं उसके परिवार की समस्त सम्पत्ति को दोषीयों से हड़प करवाने के लिए केसो को गलत तरीके से खारीज कर दिये और कुछ गलत आदेश किये बिना रिकार्ड के इन सब कारणो से आवेदनकर्ता न्याय पाने हेतु स्वयं अपने केसो की अपील शिकायत दावे भारतीय सविधान के अनुच्छेद 350 के तहत दे सकता है इसके लिए तुरन्त विवरण सहित हिन्दी में सूचित करे कि न्याय हेतु ये सब करने के लिए आवेदनकर्ता सक्षम या नही।हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।
12. सूचना दे कि आपके न्यायालयों के मुखिया एवं देश के राष्ट्रपति एवं केन्द्र एवं राज्य की सरकारों के मुखिया आवेदनकर्ता एवं उसके परिवार को 2007 से आज तक उनको न्याय से वंचित किस कानून के तहत कर रहें हैं औ किस कानून के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सुरक्षा ना देकर उनकी पैतृक सम्पत्ति से वंचित कर दोषीयों द्वारा कब्जा कराने पर आमादा है।हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।
13. उपरोक्त सभी सूचना दे कि अनुच्छेद 350 में राजभाषा भारतीय नागरिक की सभी प्रकार की शिकायतो/वादो–विवादो का निवारण करने का प्रावधान दिया है उसके बाद देश सभी आयोग, देश के राज्यों की सरकारो की पुलिस व प्रशासन देश की राजभाषा में निवारण ना कर अंग्रेजो की अंग्रेजी की आड़ में आवेदनकर्ता को किस कानून के तहत उसके मूल व मानव अधिकारों का हनन कर उसको पिछले करीब सात साल से प्राकृतिक न्याय से वंचित कर रहे हैं इसकी सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
14. उपरोकक्त सभी सूचना दे कि कानून ना जानने वाला व देश की राजभाषा जानने वाले को वकील के बगैर न्याय से वंचित किस कानून के तहत किया जा सकता है इसकी सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
15. उपरोक्त सभी सूचना दे कि पिछले करीब साढे छः साल से दिनांक 16.12.2007 से 22.12.2007 तक आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता व उसके परिवार का बाग, मकान आदि आग लगाकर व जे.सी.बी. मशीन आदि लगाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा आदि ने सब कुछ तहस नहस करा कर बर्बाद करा दिया व कर दिया और शिकायतकर्ता व उसके परिवार का सभी सामान चोरी करा दिया और उसी दिन शिकायतकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देकर उनके गांव खटकड़, सोनीपत से जबरदस्ती निकाल दिया और आज तक उनके पैतृक गांव में नही घुसने दिया जा रहा इस सभी जघन्य अपराध की शिकायत 16.12.2007 को मुख्यमंत्री व राज्यपाल हरियाणा, को ई. मेल के माध्यम से दी और उसी दिन सोनीपत के एस.पी. नवदीप सिंह विर्क को शिकायत दी लेकिन कोई कार्यवाही नही होने पर शिकायत हिन्दी में टाईप कराकर 17.12.2007 को डी.एस.पी. डिटेक्टिव सोनीपत बदरी प्रसाद व एस.पी. सोनीपत नवदीप सिंह विर्क को दस्ती दी लेकिन प्राप्ति/रसीद ना देने पर सोनीपत के रेलवे स्टेशन पोस्ट आफिस से स्पीड पोस्ट द्वारा एस.पी. सोनीपत, डी.जी.पी. हरियाणा, सी.एम. हुड्डा, पी.एम., राज्यपाल हरियाणा, आई.जी. रोहताक, अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग, गृहमंत्री को भेजी उसके बाद 18.12.2007 को डी.जी.पी. हरियाणा पंचकूला आर.एस. दलाल को दी 19.12.2007 को दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हरिभूमि व पंजाब केसरी समाचार को अपनी शिकायत दस्ती शपथ पत्र के माध्यम से दी और एस.पी. नवदीप व डी.एस.पी. बद्री प्रसाद ने 19.12.2007 को बड़ी जद्दो जहद के बाद राई थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की बात समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जबकि उसका अधिकार कुण्डली थाने में था इसके बाद इन हुड्डा के भ्रष्टाचारियों ने 21/22.12.2007 को आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता का अपहरण सी.एम. हुड्डा के इशारे पर एस.पी. नवदीप सिंह विर्क सोनीपत व डी.एस.पी. बद्री प्रसाद आदि ने कराकर 21.12.2007 को सादे कागजो पर हस्ताक्षर कराये और 22.12.2007 को प्रदीप कुमार एस.एच.ओ., महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. आदि ने अपने आप हस्त लिखित शिकायत लिखकर इन्हाने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती आधी रात को हस्ताक्षर कराये और अपने बचाव में उसी हस्त लिखित शिकायत में अपने तीन गवाह बनाकर एफ.आई.आर. दर्ज कर अपने आप दोषीयों ने रद्द कर ली इस उपरोक्त जधन्य अपराध की शिकायत शिकायतकर्ता ने 23/24.12.2007 को हुड्डा आदि को दी लेकिन कोई सुनवाई ना होने पर फिर 28.12.2007 को तार के माध्यम से श्रीमान मनमोहन सिंह व राष्ट्रपति आदि को शिकायत की सभी सूचना दे कि आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा टाईप की गई शिकायत पर उस संगीन अपराध के सम्बन्ध में 16/17.12.2007 को आज तक एफ.आई.आर. दर्ज किस कानून के तहत ना की गई व कब तक की जाएगी। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

और

सूचना दे कि हुड्डा की हरियाणा पुलिस ने अपने आप हस्त लिखित शिकायत पर एफ.आई.आर. हादसे के सात दिन बाद किस कानून के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की सूचना हिन्दी में विवरण सहित दे।

16. उपरोक्त सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, प्रधान मंत्री, कानून मंत्री, भारत की संसद स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के राज्यसभी व

संसद के नेतागण, मानव संसाधन विकाश मंत्री सूचना दे कि 16.12.2007 तक शिकायतकर्ता व उसके परिवार के जान व माल का खातमा करने वाले व जबरन जान से मारने की धमकी देकर शिकायतकर्ता व उसके परिवार को भगाने वाले अपराधियों के खिलाफ जांच कर शिकायतकर्ता द्वारा दी गई टाईप शिकायत पर एफ. आई.आर. आज तक दर्ज ना कर दोषीयों को दण्डित ना कराने और उनको किस कानून के तहत बचाया जा रहा है और इस उपरोक्त हादसे की एफ.आई.आर. दर्ज करायेंगें। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

17. उपरोक्त सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, प्रधान मंत्री, कानून मंत्री, भारत की संसद स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के राज्यसभी व संसद के नेतागण, मानव संसाधन विकाश मंत्री सूचना दे कि आज तक अनुच्छेद 348 के तहत किस योजना के तहत नही बदला गया क्या अंग्रेजो आप सभी की मातृभाषा है और अंग्रेजो के आज भी आप/हम गुलाम हैं और इस अंग्रेजी की आड़ में आवेदनकर्ता व उसके परिवार के मूल अधिकारों का हनन कर न्याय से वंचित कब तक किया जाता रहेगा सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
18. उपरोक्त सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, प्रधान मंत्री, कानून मंत्री, भारत की संसद स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के राज्यसभी व संसद के नेतागण, मानव संसाधन विकाश मंत्री सूचना दे कि वकील के बिना न्याय किस कानून के तहत नही मिल सकता। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
19. उपरोक्त सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, प्रधान मंत्री, कानून मंत्री, भारत की संसद स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के राज्यसभी व संसद के नेतागण, मानव संसाधन विकाश मंत्री सूचना दे कि शिकायतकर्ता/आवेदनकर्ता जैसा आम गरीब आदमी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर अपने देश की राजभाषा में पैरवी करने से रोककर उसे न्याय से वंचित किस कानून के तहत किया जा सकता है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
20. उपरोक्त सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, प्रधान मंत्री, कानून मंत्री, भारत की संसद स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के राज्यसभी व संसद के नेतागण, मानव संसाधन विकाश मंत्री सूचना दे कि उच्च न्यायालय की डबल बैंच याचिका संख्या 10749/8 के माध्यम से 20.08.2010 को सुरक्षा को आदेश दिये व याचिका संख्या टी.ए. 1 से 3/11 के माध्यम से कोर्ट हेतु सुरक्षा के आदेश दिये इसकी प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु संलग्न है उसके अमल ना करने के सम्बन्ध में कोर्ट की अवमानना के लिए जो दावा हिन्दी में दायर करने के लिए आज्ञा मांगी उसको ऐसा करने से रोक दिया गया इसके लिए कौन–सा कानून है गरीब बिना पैसे वाला देश की राज़भाषा में दोषीयों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दायर कर न्याय पा सके और इसके लिए देश का महामहिम राष्ट्रपति न्याय दिलवा सकता है या सविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति भी करायेगा या सविधान की रक्षा करायेगा सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
21. उपरोक्त सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, प्रधान मंत्री, कानून मंत्री, भारत की संसद स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के राज्यसभी व संसद के नेतागण, मानव संसाधन विकाश मंत्री सूचना दे कि शिकायतकर्ता/आवेदनकर्ता अपने दावे देश की राजभाषा में अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर न्याय पाने हेतु किस कानून के तहत दायर कर सकता है जिससे वह और उसका परिवार न्याय से वंचित ना हो सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
22. उपरोक्त सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, प्रधान मंत्री, कानून मंत्री, भारत की संसद स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के राज्यसभी व संसद के नेतागण, मानव संसाधन विकाश मंत्री सूचना दे कि देश में कसाब से आतंकवादियों के मानवाधिकारों की रक्षा कराना ही इस देश के न्यायालयों व राष्ट्रपति का धर्म हैं सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
23. उपरोक्त सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्य न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, प्रधान मंत्री, कानून मंत्री, भारत की संसद स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के राज्यसभी व संसद के नेतागण, मानव संसाधन विकाश मंत्री सूचना दे कि आवेदनकर्ता रामेश्वर शर्मा व उसका परिवार अपनी मातृभाषा व देश की राजभाषा में अपनी जानमाल की रक्षा हेतु दावे व शिकायतें देने के लिए जो रोक लगाई हुई है उसके लिए सविधान का जो उल्लंघन है उसकी रक्षा कौन करेगा और उनको न्याय कौन दिलवायेगा सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
24. सूचना दे कि आवेदनकर्ता का धर्म/संप्रदाय व मातृभाषा किस कानून के तहत बदल सकते हो सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
25. सूचना दे कि किस कानून के तहत आवेदनकर्ता का धर्म/संप्रदाय व मातृभाषा को बदलने का किसी को भी अधिकार नही तो इस देश की अदालतो के न्यायधीश आवेदनकर्ता रामेश्वर शर्मा व उसके परिवार के मूल अधिकारो का हनन कर उन्हे न्याय से पिछले करीब साढे छः साल से वंचित किस कानूनी अधिकार से कर रहे हैं और दोषीयों को बचा रहें हैं। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
26. सूचना दे कि आप आवेदनकर्ता व उसके परिवार को भ्रष्टाचारियों से निजात/छुटकारा ना दिलवाने पर किस कानून के तहत आप भ्रष्टाचारी व अन्यायकारी नही हो। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

27. सूचना दे कि जब न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका के मुखियाओं के सामने अत्याचार कर मार रहे हो तो आप चुपचाप देखकर दबी हंसी हंस रहे हो तो आप किस कानून के तहत नपुंसक नही हो। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
28. सूचना दे कि भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन–सी है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
29. सूचना दे कि कांग्रेस की केन्द्र सरकार देश के हिन्दी भाषी राज्यों में जैसे हरियाणा, दिल्ली जैसे हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतो में राजभाषा देवनागरी हिन्दी कोर्ट में लागु आज तक किस योजना के तहत लागु नही किया क्या देश 1947 के बाद भी अंग्रेजो का राज है सूचना हिन्दी में देवे।
30. सूचना दे कि हिन्दी देश की राजभाषा होने पर भी दिल्ली व हरियाणा के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतो में हिन्दी किस योजना और किस नियम के तहत लागू आज तक क्यों नही की क्या अनुच्छेद 350 की अवहेलना करने का अधिकार इन न्यायालयो को किस नियम/कानून के तहत है सूचना हिन्दी में देवे।
31. सूचना दे कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार देश में व दिल्ली एवं हरियाणा जैसे राज्यो में एवं उनकी अदालतो में राजभाषा सविधान के अनुच्छेद 350 के तहत कब तक लागू करेगी जिससे गरीब व शरीफ लोगो को न्याया मिल सके सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
32. सूचना दे कि देश की अदालतो में सरकारी वकील दोषीयों से मिलकर व उनसे रिश्वत लेकर पीड़ितो व उनके गवाहों को पुलिस से व बदमाशो से तंग कराकर गवाही किस योजना के तहत ना होने देते और ये सभी मिलकर इन दोषीयों को जज गवाही के अभाव में उन्हे बरी कर दिया जाता है आपकी सरकार इनकी जवाब देही कब तक तय करेगी और पीड़ित और उनके गवाहो को कब तक सुरक्षा दिलवायेगी सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
33. सूचना दे कि पीड़ितो और उनके गवाहो की सुरक्षा हेतु सर्वोच्य न्यायालय ने केन्द्र व राज्यों को आदेश दिए कि इनकी सुरक्षा का पुक्ता प्रबन्ध कराये जिससे पीड़ितो को न्याय मिले और दोषीयों को दण्ड मिले आज तक पीड़ितो और उनके गवाहो की सुरक्षा हेतु किस योजना के तहत कानून नही बनाया गया सूचना सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
34. सूचना दे कि इस देश में कसाब जैसे आतंकवादियों के मानवाधिकारों की रक्षा किस कानून के तहत की जाती है और इस देश के गरीब व शरीफ पीड़ितो के मुल व मानवाधिकारों का हनन कर किस कानून के तहत इस देश की सरकारें व न्यायालय न्याय से वंचित कर रहे है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
35. सूचना दे कि आपकी यू0पी0ए0 सरकार व न्यायालय पीड़ितो और उनके गवाहो की गवाही ना होने पर दोषीयों को बचाने के लिए कौन जिम्मेवार है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
36. आप सूचना दे कि देश की राष्ट्रभाषा क्या है व देश की राजभाषा क्या है और देश की राजभाषा के विकास के लिए किस–किस माध्यम से विकास किया और देश में राजभाषा के माध्यम से केन्द्र और देश के सभी राज्यो से क्या राजभाषा में पत्र व्यवहार कितने प्रतिशत होता है और अंग्रेजी के माध्यम से कितने प्रतिशत होता है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
37. आप सूचना दे कि देश की राजभाषा का विकास और अमल अनुच्छेद 351 के अनुसार 1947 से आज तक पूरे देश में कितना हुआ। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
38. सूचना दे कि अंग्रेजी का विकास सविधान के किस अनुच्छेद के अनुरूप किया गया और इसका प्रसार व प्रचार देश के हर न्यायालयों में और देश के सर्वोच्य न्यायालय में किस कानून व किस अनुच्छेद के तहत विकास व प्रसार किया गया। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
39. सूचना दे कि देश की जिन जजो की शिकायत आवेदनकर्ता ने की है और इन दोषी जजो ने दूसरी फरीक से मोटी रिश्वत खाकर गलत आदेश कर उनकी सम्पत्ति से बेदखल कराने की योजना का षडयंत्र रचा जा रहा है इसकी बार–बार शिकायत करने पर आज तक किस कानून के तहत इनके खिलाफ ना कार्यवाही की ना ही जांच की ना ही इन्हे दण्डित किया गया सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे। देश की राजभाषा इस देश के न्यायालयों और देश की राज्यों की सरकारों व केन्द्र की सरकार के कामकाज में लागू किस कानून के तहत नही की गई। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
40. सूचना दे कि अंग्रेजो की अंग्रेजी का विकास करने के लिए सविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है जिसके कारण पूरे देश व पूरे देश के न्यायालयों में अंग्रेजी लागू की और हिन्दी क्यों नही सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
41. सूचना दे कि देश के दस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं 14 लॉ/कानून के विश्वविद्यालय में केवल अंग्रेजी की अनिवार्यता किस कानून के तहत की और हिन्दी को किस कानून के तहत इन विश्वविद्यालयों में लागू नही किया गया इस देश की राजभाषा का अपमान इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से किस कानून के तहत कराया गया आज भी ये देश अंग्रेजो की अंग्रेजी का गुलाम है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
42. सूचना दे कि न्यायिक जवाबदेही बिल तथाकथित आजादी के 67 साल बाद आज तक किस योजना के तहत पारित नही किया गया जबकि एफ.डी.आई. बिल केवल 261 सांसदा के मत के आधार पर पास कर लिया गया। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
43. सूचना दे कि पीड़ितो और उनके गवहो की सुरक्षा हेतु तथाकथित आजादी के 67 साल बाद आज तक किस योजना के तहत पारित नही किया गया जिसके कारण दोषी इनकी गवाही के अभाव में जजो और पुलिस रिश्वत खाकर इन्हे बरी करा देती है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
44. सूचना दे कि एन.एल.यू. (राष्ट्रीय कानून/विधि विश्वविद्यालय एवं 13 राष्ट्रीय कानून /विधि विश्वविद्यालय के कॉमन लॉ इन्टर्न टैस्ट में अंग्रेजी किस नियम के तहत अनिवार्य है और इनकी परीक्षा के दौरान केवल पैंसिल का प्रयोग किस योजना के तहत कराया जाता है और पैन का प्रयोग किस योजना के तहत नही कराया जाता) सूचना हिन्दी में विवरण सहित देवे।

45. सूचना दे कि 16.12.2007 को आवेदनकर्ता रामेश्वर शर्मा एवं उसके परिवार के बाग के लगभग 750 पेड़ आग लगाकर काटकर हुड्डा आदि ने तहस नहस करा दिये जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता रामेश्वर शर्मा ने टाईप शिकायत की लेकिन आज तक दोषीयों के खिलाफ एफ.आई.आर. आज तक दर्ज ना की गई सूचना हिन्दी में विवरण सहित देवे।
46. सूचना दे कि देश के एवं राज्यों के किसी भी कार्यालय एवं न्यायालयों व सर्वोच्य न्यायालय आदि को आवेदनकर्ता एवं उसके परिवार के मूल व मानवाधिकारो का हनन कर न्याय से वंचित करना किस कानून में लिखा है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
47. सूचना दे कि देश के कार्यालयों एवं दिल्ली व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्य न्यायालय में वाद व दावे देश की राजभाषा हिन्दी में दायर करने से रोकने के लिए किस कानून में लिखा है सूचना हिन्दी में विवरण सहित देवे।
48. सूचना दे कि राष्ट्रभाषा के संस्थानो पर भारतवर्ष में 1947 से आज तक कितना पैसा खर्च हुआ सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
49. सूचना दे कि राजभाषा के संस्थानो पर भारतवर्ष में 1947 से आज तक कितना पैसा खर्च हुआ सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
50. सूचना दे कि राजभाषा का विकास अनुच्छेद 351 के अनुसार पूरे भारतवर्ष में किस योजना के तहत अमल में नही लाया गया सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
51. सूचना दे कि भारतवर्ष में और भारतवर्ष के राज्यों में हिन्दी व अंग्रेजी के टाईपिस्ट एवं कम्पयुटर टाईपिस्ट व आशुलिपिक कितने–कितने लोग कार्यरत है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
52. सूचना दे कि आपके पी.आई.ओ. व अपीलीय अधिकारी के नाम व पद क्या–क्या है हिन्दी में सूचना देवे।
53. सूचना दे कि आपके विभाग के मुखिया कब तक आवेदनकर्ता को न्याया दिलायेंगें या आवेदनकर्ता के मरने के बाद न्याय दिलवायेंगें किस कारण बार–बार शिकायत करने के बाद दोषीयों के खिलाफ कार्यवाही ना कर दोषीयों को बचाने व आवेदनकर्ता के साथ अन्याय किस कानून के तहत कराया जा रहा है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
54. सूचना दे कि इस देश की यू0पी0ए0 सरकार के राज में देश के न्यायालयों में केवल कानून व अंग्रेजी के जानकारो को ही न्याय किस कानून के तहत मिलता है और जिस भारतीय आवेदनकर्ता जैस व्यक्ति को कानून व अंग्रेजी में निपूणता ना होने पर न्याय किस कानून के तहत नही मिल रहा है इस तरह का अन्याय आवेदनकर्ता और उसके परिवार के साथ पिछले साढे छः साल से हो रहा है अंग्रेजो की अंग्रेजी व कानून की आड़ में आवेदनकर्ता व उसके परिवार के साथ किस कानून के तहत उनके मूल अधिकारो का हनन कर पिछले साढे छः साल से न्याय से वंचित किया जा रहा है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
55. सूचना दे कि देश की राजधानी दिल्ली में 25 हजार अवैध भवन दिल्ली के एम.सी.डी. अधिकारियों ने मोटी रिश्वत लेकर किस कानून के तहत बनवाये और इस देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी अवैध भवन, अवैध कालोनी सम्बन्धित एम.सी.डी. आदि के अधिकारी रिश्वत खाकर बिना नक्से के किस कानून के तहत बनवाते हैं इन दोषीयों को दण्डित करने के लिए सरकार एवं न्यायालय के पास इस तरह के अवैध कार्यों को रोकने का कोई प्रावधान है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
56. सूचना दे कि देश में सरकारी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय एवं निजि स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय अलग–अलग स्तर के किस कानून के तहत है सरकार के दावे गरीब लोगो के लिए धोखा किस योजना के तहत इस देश में हैं सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
57. सूचना दे कि देश के न्यायधीश ओर कानून बनाने वाल संसद के सांसद अपराधियों को बचाने के लिए गवाहो और पीड़ितो को जान से मरवा देते हैं और अगर जिन्दा रहते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी देकर कोर्ट में गवाही नही देते इनकी सुरक्षा किस कानून के तहत नही करेंगें और बदमाशो उनकी गवाही के अभाव में बरी कर दिया जाता है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
58. सूचना दे कि देश के हर राज्य के मुखिया, मंत्रीयों व देश के सभी न्यायालयों के जजो का सालाना खर्च हर प्रकार के मदो पर कितना–कितना किया जाता है जैसे उनकी सुरक्षा, उनके सुरक्षाकर्मीयों, नौकरो, गाड़ियों, हवाई यात्रों, विदेश यात्राओं, बंगलो का रखरखाव, बिजली पानी का खर्च, तंखा के अलावा दूसरे लाभो का खर्च, उनके बंगलो का आकार, बाजार भाव से बंगलो का अनुमानित किराया और अगर इसके अलावा खर्च इनके मुखियाओं आदि पर किया जाता हो अलग–अलग से सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
59. सूचना दे कि आपके मुखिया को आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता ने दोषीयों के खिलाफ आज तक कितनी–कितनी शिकायते दी हैं उनके बारे में आपके मुखियां ने दोषीयों के खिलाफ कार्यवाही ना करने पर आपके मुखिया उतने ही दोषी हैं जितने दोषी अपराध करने वाले हैं और यह भी सूचना दे कि दोषीयों के खिलाफ शिकायत होने पर भी कार्यवाही ना करना इनको दोषी होने से बचाता है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
60. सूचना दे कि आपके मुखिया पीड़ितो और उसके गवाहों को दोषी या तो मार देते हैं या उनको प्रताड़ित करके गवाही देने से रोक दिया जाता है जिसके कारण आपके मुखिया या जज दोषीयों को उनके अभाव में

बरी करा देते है क्या आपके मुखिया दोषी किस योजना के तहत नही है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

61. सूचना दे कि देश के राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यू.पी.ए.अध्यक्षा श्रीममी सोनिया गांधी व कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी आदि जब–जब रोड़ शौ आज तक कितने–कितने किये हैं और अभी हाल में जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पानीपत आदि में रोड़ शौ किये उन पर रोड़ शौ के दौरान कितने–कितने प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी एवं सुरक्षा में कितने पुलिस कर्मचारी और अधिकारी एवं गाड़ियां उन पर कुल खर्च देश व राज्य का कितना–कितना किया जाता है और उस समय ये किस कार्य के लिए रोड़ शौ करते हैं इन पर सभी प्रकार का कुल खर्च कितना आता है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
62. सूचना दे कि देश के सभी छोटे बड़े न्यायालयों में सविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार राजभाषा देवनागरी हिन्दी एवं राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल आजादी के 67 साल बाद भी किस योजना व किस कानून के तहत लागू नही की सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
63. सूचना दे कि देश के सभी छोटे बड़े न्यायालयों में सविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार राजभाषा देवनागरी हिन्दी एवं राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल आजादी के 67 साल बाद भी अंग्रेजी की अनिवार्यता किस कानून के तहत और उस अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण देश की सवैधानिक राजभाषा देवनागरी हिन्दी भाषा का अपमान किस कानून के तहत आज तक किया जा रहा है और देश के लोगो के मानवाधिकारो का हनन करते हुए उनको अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण न्याय से किस कारण वंचित किया जा रहा है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
64. सूचना दे कि कांग्रेस की यू.पी.ए.–2 ने और पिछले 60 साल से कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने देश के गरीबों और शरीफों को न्याय दिलवाने के एवं भ्रष्टाचारियों और दोषीयों को दण्ड दिलवाने के लिए कौन–से कानून एवं बिल पास कराकर लागू करायें है उन सभी की सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
65. सूचना दे कि देश केन्द्र सरकार/यू.पी.ए. सरकार देश सवैधानिक राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा देश के सभी छोटे बड़े न्यायालयों एवं कार्यालयों में लागू करेगी और आज तक देश में आजादी के 67 साल बाद भी किन नियमों के अनुसार लागू नही की गई। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
66. सूचना दे कि आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता ने 2007 से 2014 हाल तक आपके मुखिया /राष्ट्रपति, मुख्य न्यायधीश दोषीयों के खिलाफ कितनी–कितनी शिकायतें आज तक दी हैं और उन पर दोषीयों के खिलाफ किस–किस आधार पर क्या–क्या कार्यवाही की गई विवरण सहित सूचना हिन्दी में देवे।
67. सूचना दे कि उत्तराखण्ड में पूर्व सी.एम. खंडूरी ने लोकायुक्त बिल पारित किया था उस बिल का उत्तराखण्ड में आज तक किस योजना के तहत लागू नही किया गया और उसमें जो हाल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदवाल लाना चाहते हैं वो किस योजना के तहत लाना चाहते हैं पूर्व लोकायुक्त बिल को एवं हाल के बदलाव की प्रतिलिपियां विवरण सहित सूचना के साथ हिन्दी में देवे।
68. सूचना दे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आर.टी.आई. के माध्यम से भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले आर.टी.आई. के कार्यकर्ताओं, पीड़ितो व उनके गवाहों की सुरक्षा के लिए केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने उनकी सुरक्षा हेतु कौन–सा बिल पास कराया विवरण सहित हिन्दी में सूचना देवे।
69. सूचना दे कि आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के अभाव में भ्रष्टाचारी आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं को दिन में सरेआम मरवा देते हैं और उसके बाद उनके गवाहों को भी मरवा देते हैं जिसके कारण दोषी भ्रष्टाचारी देश के भ्रष्ट जजो द्वारा गवाही के अभाव में उनको बरी कर दिया जाता है इस तरह देश में कातिल व भ्रष्टाचारी गवाहों की सुरक्षा के अभाव में देश की सरकार इन्हें किस योजना के तहत और किस कानून के तहत बचा रही है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
70. सूचना दे कि देश में गरीब, शरीफ व नाबालिग आदि लड़कियों का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करके अपमानित करने हेतु देश में छोड़ दिया जाता है और बलात्कारी व भ्रष्टाचारी जब ये बलात्कार की पीड़िता और उनके गवहा गवाही हेतु न्यायालय में जाते समय सरेआम मार दी जाती हैं ओर बलात्कारीयों व भ्रष्टाचारीयों को उनकी गवाही के अभाव में बलात्कारी जजो को रिश्वत देकर किस कानून के तहत बरी किये जाते हैं सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
71. सूचना दे कि केन्द्र व राज्य की सरकारों ने जितने छोटे–बड़े न्यायालय, मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग आदि बनाये है उनके कामकाज की भाषा अंग्रेजी किस कानून के तहत बनाई है और उनमें लागू की है देश सवैधानिक राजभाषा देवनागरी हिन्दी इन न्यायालयों एवं आयोगो में देश की आजादी के 67 साल बाद भी इनके कामकाज में व पत्र व्यवहार में लागू किस योजना और किस कानून के तहत नही की है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
72. सूचना दे कि देश के छोटे–बड़े न्यायालयों में न्याय पाने के लिए किस योजना और किस कानून के तहत अंग्रेजी व वकील अनिवार्य है विवरण सहित हिन्दी में सूचना देवे।

73. सूचना दे कि आवेदनकर्ता न्याय पाने के लिए अपने देश के सवैधानिक राजभाषा देवनागरी हिन्दी में आवेदन/शिकायते/दावे दायर नही कर सकता और इस अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण आवेदनकर्ता किस योजना व किस कानून के तहत उसके मानवाधिकारो का हनन कर वंचित रखा जा सकता है हिन्दी में विवरण सहित सूचना देवे।

74. सूचना दे कि देश की कांग्रेस सरकार घोषणा करती है कि देश में सामाजिक न्याय एक समान शिक्षा के अधिकार ये दिलवा रहें हैं तो सूचना दे कि देश में 14 कानून विश्वविद्यालय, 10 बड़े देश के राष्ट्रविद्यालय गरीब व क्षेत्रीय भाषी अंग्रेजी के अभाव में इन सभी विश्वविद्यालयों में दाखिले की सोच भी नही सकता इसके साथ–साथ देश में अलग–अलग स्तर के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय हैं जिनमें गरीब व क्षेत्रीय भाषी दाखिला लेने की सोच भी नही सकता है किस हैसियत से आपकी कांग्रेस सरकार ओर यू.पी.ए. की अध्यक्षा एवं कांग्रेस के उपाध्यक्ष कहते हैं कि ये सभी देश के गरीबो के साथ एक समान न्याय व सामाजिक समानता दिलवा रहें हैं सूचना दे कि किस आधार पर कहा जाता है कि उपरोक्त शिक्षा संस्थाओं आदि में उनको शिक्षा दिलवाई जाएगी जबकि वो गरीब अंग्रेजी जानता ही नही है जब यह झूठ किस उछद्देश्य से बोला जाता है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

75. याचिका सी.डब्लु.पी. संख्या 10749/8 एवं याचिका टी.ए. संख्या 1 से 3/11 इन दोनो याचिकाओं में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.08.2010 एवं 01.03.2011 को श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायधीश जिला अदालत सोनीपत को एवं हरियाणा पुलिस के सम्बन्धित अधिकारीयों को आदेश दिए कि आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता एवं उसके परिवार को और उसके गवाहों को गांव के लिए एवं केसो की पैरवी हेतु सुरक्षा प्रदान करायें लेकिन इन आदेशो की पालना ना होने पर उसी दिन से आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता ने इन आदेशो के सम्बन्ध में 33–33 एवं 32–32 आवेदन/शिकायतें सुरक्षा दिलवाने हेतु उपरोक्त सत्र न्यायधीश सोनीपत एवं हरियाणा पुलिस को दिये लेकिन उसके बाद इन आदेशो की अवहेलना की और शिकायतकर्ता के सभी लम्बित केस और गांव की सम्पत्ति दोषीयों ने चोरी कर ली और सब सम्पत्ति बर्बाद कर रहें है इसके सम्बन्ध में आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता ने आपके मुखिया को इन दोषीयों की शिकायते दी लेकिन आज तक इनके सम्बन्ध में आपके मुखिया ने उपरोक्त दोषीयों के खिलाफ ना कोई जांच कराई और ना ही उपरोक्त दोषीयों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर दण्डित किये और ना ही आवेदनकर्ता को उपरोक्त केसों पर कोई अमल कराया इसके लिए आपके मुखिया के उपर किस कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी और किस कानून के तहत उपरोक्त आदेशो की पालना कराई जाएगी और किस कानून के तहत आवेदनकर्ता के जो लम्बित केस आवेदनकर्ता एवं उसके गवाहों के अभाव में पुलिस से मिली भगत करके और दोषीयों से जजो ने रिश्वत खाकर आवेदनकर्ता के केसो को खुर्द बुर्द कर गलत आदेश कर दिये इसका हर्जा और इसकी क्षतिपूर्ति किस कानून के तहत होगी आवेदनकर्ता कानून और अंग्रेजी का मास्टर नही है और ना ही उसकी वित्तीया हालात इतनी अच्छी है कि वकीलो को पैसे देकर न्याय पा सके और ना ही स्वयं अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध कर सके इस देश में केवल बदमाश ही किस कानून के तहत बचाये जाते हैं विवरण सहित सूचना हिन्दी में देवे।

76. सूचना दे कि आपके मुखिया को आवेदनकर्ता ने दोषीयों के खिलाफ शिकायते दी लेकिन उनके खिलाफ शिकायतो के आधार पर कोई कार्यवाही ना करने पर आपके मुखिया किस कानून के तहते दण्डित होंगें सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

77. सूचना दे कि इस देश की पुलिस इस देश के ज्यादातर बदमाश नेता लोगो का सरेआम गालियां देते हैं ओर विरोध करने पर गिरेबान पकड़कर चांटे मारते हैं इनके खिलाफ किस कानून के तहत कार्यवाही नहीं होती और किस कानून के तहत इस तरह के अपराध में इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी विवरण सहित हिन्दी में सूचना देवे।

78. सूचना दे कि सड़क के किनारे रेहड़ी खोमचे इस देश की पुलिस और देश की सरकार के कर्मचारी और अधिकारी लगवाते हैं और ये रेहड़ी खोमचे वाले अपने परिवार का गुजारा करने हेतु रिश्वत देकर अपना सामान बेचते हैं और जब कभी ये रेहड़ी खोमचे वाले रिश्वत देनी बन्द कर देते हैं और ये रेहड़ी को तोड़ देते हैं इस तरह का अन्याय किस कानून के तहत इस देश से बन्द होगा। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

79. सूचना दे कि खेती की जमीन पर नेता एवं गांव के बदमाश लोग गरीब लोगो को बहका फुसला कर कृषि भूमि बेच देते हैं और उस पर किस कानून के तहत अवैध कालोनी बसाते हैं और इसकी शिकायत करने पर उन दोषी नेताओं और कृषि भूमि के मालिको जो बदमाश अवैध कालोनी बसाते है इनके खिलाफ किस कानून के तहत कार्यवाही नही होती और किस कानून के तहत अवैध कालोनी बसाने वालो के खिलाफ कार्यवाही होगी विवरण सहित सूचना हिन्दी में देवे।

80. सूचना दे कि देश की आजादी के 67 साल बाद देश की कांग्रेस आदि की सरकारो ने देश के स्कूलो, विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की अनिवार्यता किस कानून के तहत की और हिन्दी की अनिवार्यता किस कानून के

तहत हटाई गई क्या आज भी हमारा देश अंग्रेजो की अंग्रेजी का गुलाम है सुचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

81. सूचना दे कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने हरियाणा के जाटो को आरक्षण किस आधार पर दिया और साथ मे यह भी सूचना दे कि हरियाणा के जाटो के पास कुल भू सम्पदा, नौकरीयां, और चल व अचल सम्पत्ति कितने प्रतिशत है और हरियाणा में जाट कितने प्रतिशत हैं, जाट एम.एल.ए., कारपोरेशन के एम.एल.सी. एवं एम.पी. कितने हैं विवरण सहित सूचना हिन्दी में देवे।
82. सूचना दे कि देश की कांग्रेस सरकार और देश के न्यायालय घोषणा करते हैं कि देश के गरीब व अमीर को हर क्षेत्र में समान अधिकार एवं न्याय एक समान मिलेगा लेकिन आपके मुखिया सूचना दे कि इस देश का गरीब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सोच भी नही सकता क्योंकि गरीब आदमी की कुल आमदनी इतनी नही जितनी उसमें एक महीने की फीस देश में इस तरह के स्कूल व कालेजो में अलग–अलग फीस है ये असमानता किस कानून के तहत इस देश में लागू की हुई है और किस कानून के तहत ये घोषणाएं झूठी की जाती हैं। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
83. सूचना दे कि आपकी देश सरकार व देश के न्यायालयों ने जाति सम्प्रदायों एवं धर्म के आधार पर आरक्षण लोगो को बांटने हेतु किस कानून के तहत किस कानून के तहत की गरीबी और आर्थिक हालात के तहत नही की सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
84. सूचना दे कि दिल्ली, हरियाणा की अदालतों एवं इनके उच्च न्यायालयों में और देश के सर्वोच्य न्यायालय में देश की सवैधानिक राजभाषा देवनागरी हिन्दी में केस दायर करने पर रोक किस कानून के तहत है और आवेदनकर्ता को इन न्यायालयों में देश की राजभाषा में केस दायर करने से रोकना उसके मानवाधिकारों का हनन कर न्याय से वंचित करने के लिए कौन–सा कानून लागू होता है सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
85. सूचना दे कि आवेदनकर्ता अपने देश की सवैधानिक राजभाषा में न्याय के लिए दावे ना डालने के लिए किस कानून के तहत रोका जा रहा है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
86. सूचना दे कि देश की कांग्रेस सरकार देश के न्यायालयों के मुखिया और सर्वोच्य न्यायालय के मुखिया आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता को न्याय की गुहार लगाने के लिए बार–बार शिकायते देने पर उसकी शिकायतो पर कोई कार्यवाही नही की जा रही। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
87. सूचना दे कि आवेदनकर्ता को देश की केन्द्र सरकार एवं न्यायालयों से न्याय ना मिलने पर आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता न्याय हेतु किस देश में और किस संस्था के पास देश की सवैधानिक राजभाषा के माध्यम से जाए या आवेदनकर्ता और उसका परिवार उसके साथ जो अन्याय दोषीयों द्वारा किया जा रहा है उसके कारण घुट–घुटकर व आत्महत्या करके किस कानून के तहत अपनी जीवन लीला खत्म कर दे। विवरण सहित सूचना हिन्दी में देवे।
88. सविधान के अनुच्छेद 350 के तहत आवेदनकर्ता अपने देश की राजभाषा देवनागरी लिपि हिन्दी में अपनी शिकायते/दावे/अपील देश हर न्यायालय और कार्यालय में दायर करने का सवैधानिक अधिकार रखता है लेकिन आपके देश के न्यायालय और दूसरे कार्यालय किस कानून के आधार पर आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता को देश की सवैधानिक राजभाषा देवनागरी हिन्दी में दायर करने से रोककर उसके व उसके परिवार के मूल एवं मानवाधिकारो का हनन करके पिछले छः साल से न्याय से वंचित किस कानून के तहत ये देश के न्यायालय एवं कार्यालय कर रहे हैं सूचना हिन्दी में विवरण सहित देवे।
89. सूचना दे कि आवेदनकर्ता ने आपके सर्वोच्य न्यायालय की लिगल सर्विस कमीटी के माध्यम से श्रीमान शिवराम शर्मा अधिवक्ता आवेदनकर्ता के केसो को दायर कर पैरवी करने हेतु नियुक्त किया था लेकिन सर्वोच्य न्यायालय लिगल सर्विस कमीटी के सचिव आदि एवं शिवराम शर्मा अधिवक्ता ने आवेदनकर्ता/शिकायतकर्ता के कुछ कागजो पर साईन करा लिये थे उसके बाद आज तक किसी भी केस के बारे में इस कमीटी के सचिव आदि एवं वकील साहब आवेदनकर्ता के केसो के सम्बन्ध में कुछ भी बताने से दूसरी फरीक से मिली भगत करके किस कानून के तहत सूचना नही दे रहें हैं सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।
90. सूचना दे कि आवेदनकर्ता एवं उसके परिवार को उच्च न्यायालय ने सुरक्षा के आदेश दिये लेकिन हुड्डा की भ्रष्ट सरकार आवेदनकर्ता एवं उसके परिवार को सुरक्षा ना दे रही ना ही केन्द्र सरकार उसके बारे में कोई कार्यवाही कराकर सुरक्षा दिलवा रही और ना ही सर्वोच्य न्यायालय एवं पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय और निचली अदालत के जिला सत्र न्यायधीश आवेदनकर्ता एवं उसके परिवार की सुरक्षा दिलवाने के बारे में और गांव में बसने हेतु कोई भी प्रबन्ध किस कानून के तहत नही करा रहे जिसके कारण शिकायतकर्ता एवं उसका परिवार मरने के कगार पर है और उनकी समस्त सम्पत्ति बर्बाद कराकर दोषीयों द्वारा हड़प कराने पर आमादा हैं और सम्बन्धित जज दोषीयों से रिश्वत खाकर आवेदनकर्ता एवं उनके गवाहों के अभाव में आवेदनकर्ता एवं उनके परिवार के केसो को गलत तरीके से आदेश कर रहें हैं किस कानून के तहत सुरक्षा दी जाएगी ओर किस कानून के तहत दोषीयों को दण्डित किया जाएगा और कौन इन पर अमल करेगा। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

91. सूचना दे कि देश के चैनलो पर क्राईम पैट्रोल, सी.आई.डी., सावधान इन्डिया आदि सीरियल के माध्यम से पीड़ितो और उनके गवाहों को मरवा दिया जाता है बाद में कुछ थोड़ा बहुत दोषीयों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है क्या ये सीरियल सच्चे हैं ओर क्या इनकी पृष्ट भूमि सच्चाई पर आधारित है देश के न्यायालय और देश की सरकार इनके माध्यम से पीड़ितों एवं उनके गवाहों की सुरक्षा हेतु कोई कानून है जिससे सुरक्षा दिलवाकर उनको न्याय दिला सके सूचना हिन्दी में विवरण सहित देवे।

92. सूचना दे कि देश के न्यायालयों और कार्यालयों एवं आयोगो में अंग्रेजी की अनिवार्यता किस आधार पर की गई और किस कानून के तहत है और देश की राजभाषा की अनिवार्यता किस कानून के तहत नही है देश में किस कानून के तहत अंग्रेजो की अंग्रेजी किस योजना एवं किसके इशारे पर है देश सवैधानिक हिन्दी का अपमान व नजरअंदाज करने का देश के न्यायालय एवं आयोंगों एवं सरकार को किस कानून के तहत है सूचना हिन्दी में विवरण सहित देवे।

93. सूचना दे कि इशरत जहां और उसके पति जैसे बदमाशो के मरने के बाद भी उनके मानवाधिकारो की रक्षा हेतु सर्वोच्य न्यायालय आदि तथाकथित दोषीयों को सजा देने पर कटीबद्ध है और गोपाल काण्डा जैसे अपराधियों को जमानत दे दी जाती है जिसने पहले गीतिका शर्मा को मरवाया फिर उसकी मॉ को मरवाया ओर मिर्चपुर कांड के गवाह को मरवाकर जंगलो में डवला दिया और बाद में उसके गवाह पिता को भी यातना दी गई और वो भी यातनाओं के कारण दम तोड़ गया देश में ये न्यायालय और देश के कार्यालय बदमाशो के बचाने के लिए हैं और आवेदनकर्ता जैसे शरीफ व गरीब लोगो को सुरक्षा ना दिलवाकर उनकी पैतृक गांव से किस कानून के तहत निकलवाकर उनकी समस्त सम्पत्ति हड़प करवाने की कोशिश की जा रही है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

94. सूचना दे कि इस देश में कोई न्यायवादी या न्यायधीश आवेदनकर्ता और उसके परिवार को न्याय दिला सकता है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

95. सूचना दे कि इस देश में कोई न्यायवादी या न्यायधीश आवेदनकर्ता और उसके परिवार के साथ अन्याय करने वाले दोषीयों के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

96. सूचना दे कि इस देश में कोई न्यायवादी या न्यायधीश दोषी जजो, दोषी वकीलो, दोषी नेताओं, दोषी पुलिस अधिकारीयों आदि के खिलाफ कार्यवाही करके दण्डित कर सकते हैं। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

97. सूचना दे कि आवेदनकर्ता एवं उसके परिवार के साथ घिनौना अपराध दोषीयों द्वारा दिनांक 16.12.2007, 31.03.2008, 02.11.2008, 15.12.2012, 09.05.2013 किया गया इन अपराधो के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराकर इन दोषीयों को दण्डित करा सकते हैं। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

98. सूचना दे कि इस देश में कोई न्यायवादी या न्यायधीश आवेदनकता/शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायतें जो 2007 से हाल 2014 तक के आधार पर जांच कराकर दण्डित करा सकते हैं। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

99. सूचना दे कि जो जज रिश्वत लेकर गलत आदेश पारित करते हैं उनके खिलाफ पिछले कई साल से आज तक आवेदनकर्ता ने आपके मुखिया को शिकायत दी उसके बाद आपके मुखिया ने दोषी जजो के खिलाफ कार्यवाही नही की और इन दोषी जजो के खिलाफ किस कानून के तहत की जाएगी। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

100. सूचना दे कि 2007 से आज तक आवेदनकर्ता ने दोषीयों के खिलाफ आज तक कुल कितनी शिकायते दी उन शिकायतो की जानकारी आपके मुखिया को किस कानून के तहत नही है और दी गई शिकायतो की जानकारी किस कानून के तहत होगी और उन शिकायतो पर आज तक आपके मुखिया ने जानकारी होने पर क्या–क्या कार्यवाही करके दोषीयों को दण्डित करने के आदेश किसको दि ये। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

101. सूचना दे कि सी.एम. हुड्डा ने सोनिया गांधी के इशारे पर सोनिया के दामाद वाड्रा को करीब एक लाख वर्गगज जमीन लाल डोरे की गांव खटकड़ जिला सोनीपत में आवेदनकर्ता और उसके परिवार की समस्त सम्पत्ति एवं बाग आदि को 16.12.2007 को आग लगाकर दूसरे किश्म के हथियारों से तहत नहस कराकर बाकी सामान को चोरी करा दिया और 16.12.2007 व 02.11.2008 करे कब्जा करने की नियत से चौटे मारी बन्धक बनाकर गाड़ी आदि तोड़ने आदि के अपराध की आज तक एफ.आई.आर दर्ज ना की और इनकी एफ.आई.आर. किस कानून के तहत कब तक दर्ज की जाएगी 25.11.2007 एवं आज तक कई बार जो संगीन अपराध दोषीयों द्वारा किये गए, फसल काटी गई, सामान चोरी किया गया उसके सम्बन्ध में एफ. आई.आर. दर्ज कर दोषीयों को दण्डित किया जाएगा। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

102. सूचना दे कि आपके मुखिया जिन दोषी जजो एवं वकीलो आदि की जो शिकायते आवेदनकर्ता ने दी हैं उन पर उनके खिलाफ राज्य व केन्द्र सरकार व आपके मुखिया किस कानून के तहतउपरोक्त दोषी जजो को सजा नही दिलवा रहें हैं और उन्हे बचा रहे हैं ये कैसा असमानता का न्याय व घिनौना अन्याय है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

103. सूचना दे कि 06.03.2014 हरियाणा का सी.एम. हुड्डा रोहतक जिले के बदमाशो को फांसी के फंदे से बचाने के लिए छुड़वाने की घोषणा कर रहे हैं केन्द्र सरकार व सर्वोच्य न्यायालय तमिलनाडु की सरकार द्वारा दोषीयों की फांसी से बरी कर दिया तो इस केन्द्र सरकार ने किस कानून के तहत उनको छुडाने पर रोक लगा दी लेकिन ये सी.एम. हुड्डा किस कानून व दो तरह की योजना किस तरह इस देश में पनपाई जा रही है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

104. सूचना दे कि भ्रष्टाचारियों के द्वारा किये गए अपराधो के सम्बन्ध में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपके मुखिया को दी गई शिकायत पर आपके मुखिया द्वारा आज तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस कानून के तहत कार्यवाही ना करने पर आपके मुखिया किस कानून के तहत भ्रष्टाचारी व अपराधी नही है। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

105. सूचना दे कि 2005 में राष्ट्रीय राजमार्ग जो हरियाणा क्षेत्र में लगते हैं उनके बस स्टैंडो पर बने टीन शेड हरियाणा व केन्द्र सरकार के किन मंत्रीयो व अधिकारियों ने सभी बस स्टैंड राजमार्ग पर बने टीन शेडो किस कानून के तहत किस कानून के तहत हटवाया या तुड़वाया है इन टीन शेडो को बनाने पर कितना पैसा लगा था और हटवाने में कितना पैसा लगा था इन दोनो पर कुल कितना पैसा खर्च हुआ और आम आदमी/यात्री धुप व बारिश में बस का इंताजार करते समय कैसे बचें। इसके सम्बन्ध में भी सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

106. सूचना दे कि आवेदनकर्ता अपनी परेशानी व व्यथा के सम्बन्ध में दोषीयों के खिलाफ भारतीय सवैधानिक राजभाषा में अपने दावे, शिकायते, अपील आदि दिल्ली, नई दिल्ली व हरियाणा के जिला अदालतो एवं उच्च न्यायालय व सर्वोच्य न्यायालय में दायर कर न्याय पा सकता है हां या ना में सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

107. सूचना दे कि जो देश के सर्वोच्य न्यायालय ने पीड़ितों उनके गवाहों एवं गवाहों आदि की सुरक्षा हेतु देश के राज्य एवं केन्द्र की सरकारों आदि देश के राज्यों एवं केन्द्र की सरकारों कोआदेशएवं निर्देश दिए और साथ में ट्रांसफर एवं पोस्टिंग आदि के लिए भी दिशा निर्देश एवं आदेश दिए थे उन सभी आदेशो एवं निर्देशो को देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र सरकार ने आज तकउन पर अमल ना किया है तो अब सर्वोच्य न्यायालय इन दोषी देश की केन्द्र व राज्य सरकारों के खिलाफ अवमानना का केस लगाकर कब तक कितने समय में इनके मुखियाओं को दण्डित करेगी ओर साथ मेंइन आदेशों एवं दिशा निर्देशो को लागु कब तक कितने समय में करायेगी जिससे पीड़ित और उनके गवाहों को सुरक्षा मिलने पर ये दोषीयों के खिलाफ निर्भिक होकर गवाही दे सकें और दोषीयों को दण्ड मिल सके कब तक ये व्यवस्था होगी। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

108. सूचना दे कि सरकार व न्यायालय के मुखिया व न्यायालयों के न्यायधीश बदमाशो व भ्रष्टाचारियों से किस योजना व कानून के तहत कमजोर हैं जिससे भ्रष्टाचारी व अपराधी 70 प्रतिशत अपराध करने के बावजूद भी किस कानून के तहत बचा दिए जाते हैं। सूचना विवरण सहित हिन्दी में देवे।

109. सूचना दे कि पी.आई.ओ. एवं अपीलीय अधिकारी का नाम व पद बतायें।

सूचना हिन्दी में निश्चित समय अवधि के दौरान सही एवं पूर्ण दी जावे और आवेदनकर्ता का नाम गुप्त रखा जावे क्योंकि आवेदनकर्ता की जानमाल का खतरा है इस आवेदन के साथ तय फीस रूपये दस केवल का आई. पी.ओ. संख्या 13एफ.878696दिनांक 28.02.2014 संलग्न है।

रामेश्वर शर्मा

27/3/14

नोटः सूचना दे कि आर.टी.आई. 2005 के अनुसार इस आवेदन में अगर शब्द ज्यादा लगे तो बताए कि कितने शब्द ज्यादा है और आवेदनकर्ता ने उन शब्दो की फीस कितनी अदा करनी है और आर.टी.आई. 2005 की धारा 7 के तहत तुरन्त 48 घन्टे के दौरान सूचना देवे क्योंकि आवेदनकर्ता एवं उसके परिवार को करीब साढे छः साल से उनके पैतृक गांव से जबरदस्ती निकाल रखा है और उन्हे दोबारा बसने नही दिया जा रहा है ये सब वारदात सी.एम. हुड्डा आदि वाड्रा को गांव की लाल डोरे की जमीन दिलवाने के लिए षड़यंत्र रचा गया था और अब भी ये आवेदनकर्ता और उसके परिवार को जान से मरवाने पर तुले हैं। सूचना हिन्दी में देवे।

स्थान : दिल्ली

आवेदनकर्ता

दिनांक : 27.03.2014

रामेश्वर शर्मा

27/3/14

भारतीय डाक विभाग

मुख्य डाकपाल का कार्यालय

दिल्ली जी. पी ओ.-110006

14/RTI-A/SO(A)/14
16/7/14

प्राप्त किया
RECEIVED
2002/RL/RM
4 JUL 2014

सेवा में,

नोडल ऑफिसर (आरटीआई सेल),
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/ अपीलीय प्राधिकरण,
न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस,
26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली-110011

Right to Information Act, 2005

संख्या: - सी.पी.एम./आर.टी.आई./सी.आर./अपील/39/2014-15

दिनांक: - 09.07.2014

विषय: - <u>सूचना आधिकार नियम 2005 के अंतर्गत अपील के संबंध हेतु</u> ।
मामला- श्री रामेश्वर शर्मा, पता: - सी-343, गली न. 16, सी-ब्लॉक, भजनपुरा, दिल्ली-110053.

महोदय/ महोदया,

SO/Admn/JW

उपरोक्त विषय से संबन्धित सूचना अधिकार अधिनियम –2005 की धारा 5(2) के अंतर्गत प्रार्थी का अपील पत्र दिनांक: - 03/08.07.2014 जोकि इस कार्यालय को दिनांक 08.07.2014 को प्राप्त हुआ, आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

जैसा की प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना आपके कार्यालय अधिकार क्षेत्र मे आती है इसलिए अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते आपसे अनुरोध है कि सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत तय समय सीमा के भीतर मांगी गई सूचना से प्रार्थी को सीधे आवगत कराएं । यदि मामला आपके कार्यालय से संबन्धित नहीं है तो कृपया करके प्रार्थना पत्र को उपयुक्त प्राधिकारी को अग्रसर करें ।

सलंग्नक: -

(1) प्रार्थना पत्र मूल रूप मे (12 प्रष्ट) ।

भवदीय,

उपमुख्य पोस्टमास्टर/सी.ए.पी.आई.ओ.
दिल्ली जी.पी.ओ.-110006

प्रतिलिपि: -

(1) श्री रामेश्वर शर्मा, पता: - सी-343, गली न. 16, भजनपुरा, दिल्ली-110053 को सूचनार्थ हेतु । कृपया इस मामले से संबन्धित पत्र व्यवहार ऊपर लिखे अधिकारी से करें ।

उपमुख्य पोस्टमास्टर/सी.ए.पी.आई.ओ.
दिल्ली जी.पी.ओ.-110006

15/7/14
MHA/LA/JW1
today

भारतीय डाक
India Post

Government of India
Department of Posts
POST OFFICE -Delhi GPO Kashmeri Gate Delhi, DISTRICT:-North East
PIN -110006

Acknowledgement of Appeal under RTI Act,2005

Registration No	11000600/A /2014/0040	**Registration Date**	8/7/2014
Name of Appellant	RAMESHWAR SHARMA	**Address of Appellant**	C 343 GALI 16 BHAJANPURA DELHI,,
Appeal Forwarded to	Department of Justice	**Appeal Letter Date**	Nil
Address of Nodal Officer	Department of Justice,Jaisalmer House, 26 Mansingh Road,New Delhi 110011	**Nodal Officer**	Mr.S.B.Biswas Director

(Central Assistant Public Information Officer)
Delhi GPO Kashmeri Gate Delhi

Note: Please quote the Registration Number for future references

---

Reg. No.:-11000600/A/2014/0040 Date:-8/7/2014

Application Forwarded to:-

Mr.S.B.Biswas
Director
Department of Justice
Department of Justice,Jaisalmer House, 26 Mansingh Road,New Delhi 110011

DELHI G.P.O. 0 8 JUL 2014 DELHI-110006

ॐ

स्पीड–पोस्ट / रजिस्टर्ड / दस्ती
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील

दि. 03.07.2014 पृष्ठ सं. 1 से

सेवा में,

श्रीमान् अपिलीय अधिकारी / अपिलीय प्राधिकरण
श्रीमान अध्यक्ष विधि आयोग, एलआईसी भवन, नियर सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली–110001

अपिलकर्ता का नाम व पता : रामेश्वर शर्मा आश्रय का पता सी.–313, गली न. 16, सी.–ब्लॉक, भजनपुरा, दिल्ली–110053।

प्रथम अपील : आपके कार्यालय के पी.आई.ओ. ने सूचना का आवेदन दिनांक 27.03 / 12.05.2014 को दिया लेकिन आज तक मांगी गई सूचना अपीलकर्ता को ना भेजी गई इसलिए सम्बन्धित मांगी गई सूचना तुरन्त समय अवधि के दौरान डाक द्वारा हिन्दी में भिजवाएं क्योंकि अपीलकर्ता को जानमाल का खतरा है और इस पी.आई.ओ. का नाम भी बताया जाए व इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करके दण्डित कराए और इन पर देरी करने के जुर्म के तहत 250/– प्रतिदिन के हिसाब से भी जुर्माना करके अपीलकर्ता को दिलवाए और साथ में पी.आई.ओ. व अपीलीय अधिकारी का नाम बताया जाए।

आदरणीय मान्यवर,

आपके समक्ष उपरोक्त अपील के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्रेषित कर रहें है कि :– यह है कि आपके कार्यालय को सूचना हेतु सूचना का आवेदन 27.03 / 12.05.2014 को स्पीड पोस्ट द्वारा आपके पी.आई.ओ. को सूचना देने हेतु भेजा था लेकिन इस उपरोक्त पी.आई.ओ. ने आज तक मांगी गई सूचना ना दी इसलिए सम्बन्धित मांगी गई सूचना तुरन्त समय अवधि के दौरान डाक द्वारा भिजवाने का कष्ट करें इसकी तय फीस आई.पी.ओ. संख्या 13 एफ. 878696 इस सूचना के आवेदन के साथ भिजवा दिया था और सूचना आवेदन की प्रतिलिपि इस अपील के साथ उचित कार्यवाही हेतु संलग्न है। आपसे आशा है कि उपरोक्त अपील प्राप्त करते ही अपिलार्थी को तय जुर्माना और सम्बन्धित सूचना पृष्ठ न. 1 से .... तक सुचीबद्ध तरीके से तुरन्त डाक द्वारा भिजवायेंगे क्योंकि अपिलार्थी का जान माल का खतरा है और आपसे आशा है कि भारतीय सविधान के अनुरूप उपरोक्त सूचना डाक के द्वारा अपीलार्थी के मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए तुरन्त सूचना भिजवायते हुए तय जुर्माना भी साथ भिजवाकर अपीलार्थी के साथ न्याय करेंगें।

धन्यवाद

DELHI G.P.O. DELHI-110006

संलग्न: उपरोक्त सूचना आवेदन दि. 27.03 / 12.05.2014

अपिलार्थी

ॐ

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 03.07.2014

8-7-14

रामेश्वर शर्मा 3/7/14

8-7-14

…Dec…-2013

…vernment of India
…partment of Posts
…OST OFFICE -New Delhi, GPO, DISTRICT:-Central
…110001

भारतीय डाक
India Post

…nowledgement of Information Request under RTI Act,2005

…istration	11000100/R/2014/0125	**Registration Date**	12/5/2014
…equester …	RAMESHWAR SHARMA	**Requester Address**	C-343, GALI NO. 16,BHAJANPURA,DELHI
…Paid …	10	**Mode of Payment**	Postal Order
…equest …orwarded	Department of Justice	**Request Letter Date**	Nil
Address of … …ority	Department of Justice,Jaisalmer House, 26 Mansingh Road,New Delhi 110011	**Nodal Officer**	Mr.S.B.Biswas Director

(Central Assistant Public Information Officer)
New Delhi, GPO

Note: Please quote the Registration Number for future references

---

Date:-12/5/2014

…eg. No.:-11000100/R/2014/0125

…cation Forwarded to:-

Mr.S.B.Biswas
…irector
…epartment of Justice
…epartment of Justice,Jaisalmer House, 26 Mansingh Road,New Delhi 110011